विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

ड्र. 166 दि. 16/06/26

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/156
दिनांक 26.05.2026

आवेदक

श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी,
15/08, उत्तर वसुन्धरा नगर, भिलाई 3
बी.पी. नं. **1000167392**,
मो नं. **9826151034**

विरूद्ध

अनावेदकगण

1. **Executuve Engineer (City-E) Division**
   CSPDCL, Bhilai

2. **Assistant Engineer**
   CSPDCL, Charoda Zone

विषय :– सेवानिवृत्ति के पश्चात विभागीय विद्युत रियायत से संबंधित बकाया राशि को बिना पूर्व सूचना एवं विधिक प्रक्रिया के विद्युत बिल में जोड़े जाने के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 16.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा दिनांक 26.05.2026 को प्रस्तुत परिवाद में यह कथन किया गया कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अप्रैल, 2026 के विद्युत बिल में ₹38,332/– (परिवाद में विवादित राशि ₹32,332/– अंकित) की बकाया राशि बिना किसी पूर्व सूचना, सुनवाई अथवा विस्तृत गणना पत्रक उपलब्ध कराए जोड़ दी गई है। आवेदक ने उक्त कार्यवाही को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) तथा अन्य विधिक प्रावधानों के विपरीत बताते हुए विवादित राशि निरस्त किए जाने अथवा किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान किए जाने, विस्तृत बिलिंग विवरण उपलब्ध कराने तथा अन्य राहत प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि आवेदक कंपनी के नियमित उपभोक्ता हैं। सेवा निवृत्ति के उपरान्त भी उनके विद्युत उपभोक्ता पर 60 प्रतिशत विभागीय रियायत का लाभ मिलता रहा। उनकी कंपनी के नियमानुसार वे केवल 25 प्रतिशत रियायत के पात्र थे। उक्त कारण से अतिरिक्त छूटत रियायत की राशि ₹38,232/- उनके विद्युत बिल में जोड़ी गई तथा भुगतान हेतु सूचित किया गया।

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक उज्जैन / कम्पल / 2026 / 156 के रूप में पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई। प्रथम सुनवाई दिनांक 29.05.2026 को हुई, जिसमें आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदक उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 15.06.2026 नियत की गई।

इस बीच दिनांक 12.06.2026 को आवेदक द्वारा दूरभाष के माध्यम से फोरम को सूचित किया गया कि उन्होंने विवादित विद्युत बिल की संपूर्ण राशि का भुगतान दिनांक 06.06.2026 से पूर्व कर दिया है तथा अब वे उक्त परिवाद को आगे नहीं चलाना चाहते। आवेदक द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकरण समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया।

फोरम का विचार है कि चूँकि स्वयं आवेदक ने विवादित राशि का भुगतान कर दिया है तथा स्वेच्छा से परिवाद समाप्त किए जाने का अनुरोध किया है, इसलिए अब इस परिवाद में गुण–दोष के आधार पर किसी विधिक प्रश्न अथवा विवाद का निर्णय किया जाना आवश्यक नहीं रह गया है। अतः इस प्रकरण में आवेदक द्वारा उठाए गए तथ्यों, विधिक आपत्तियों अथवा अनावेदकों के प्रतिरक्षण के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त करना उचित नहीं होगा।

अतः फोरम निम्न आदेश पारित करता है –

1. आवेदक द्वारा दिनांक 12.06.2026 को प्रस्तुत निवेदन, जिसमें विवादित राशि का भुगतान किए जाने तथा परिवाद समाप्त करने का अनुरोध किया गया है, स्वीकार किया जाता है।

2. फलस्वरूप, प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/156 को बिना गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए तथा बिना किसी आदेश के समाप्त किया जाता है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश को प्रकरण के विवादित तथ्यों अथवा विधिक प्रश्नों पर फोरम की किसी राय अथवा निर्णय के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग